मियां बीवी को एक दुसरे पर हमेशा के लिये हराम करने वाली

बडी गलतिया

मौलाना जमील अहमद कुरैशी भावनगरी

मियां बीवी को हमेशा के लिये एक दुसरे पर हराम हो जाने को शरीअत में **हुरमते मूसाहरत** कहते हे.

नोट- आगे बार बार हुरमत का लफ्ज़ आने वाला हे, इसलिये याद रहे के हुरमत का मतलब हे मियां बीवी का एक दुसरे पर हमेशा के लिए हराम हो जाना.

हुरमते मुसाहरत के मसले के मुताल्लीक एक खास बात ये अर्ज़ करनी हे के बाज़ लोग दीन के मसाईल सीखने सिखाने मे शरम करते हे, ये शरम करना बहुत ही बुरा हे, दीन के मामले मे शरम नहीं करनी चाहिये.

हमारा ये अजीब हाल हे के सबके बीच मे गुनाह करते वकत तो हमे शरम नहीं आती और दीन की बात करते वकत शरम

आ जाती हे, सहाबा(रदी) ने दीन की बातें पूछने और समज़ने मे बिलकुल शरम नहीं करते हे, मर्द तो मर्द, औरते भी शरम नहीं करती थी.

बाज़ मरतबा ऐसा होता के मजलीस के दरमियान आकर सहाबा(रदी) की औरते सवाल करती. जैसा के बुखारी शरीफ के पहले हिस्से के सफा नं. २४ पर हे के हज़रत उमे सुलेम(रदी) **हुज़ूर**ﷺ के पास आयी और पूछा के या **रसूलल्लाह**ﷺ बेशक **अल्लाह** तआला हक बात बयान करने से नहीं शरमाता. क्या औरत को जब एहतिलाम (अर्थात स्वप्नदोष) हो जाये तो उस पर गुस्ल फर्ज़ हे? अन्सार की औरतो की इस खूबी की वजह से हज़रत आईशा(रदी) ने उन्की तारीफ इन अल्फाज़ मे फरमायी बेहतरीन औरते अन्सार की औरते हे के उन्को दीन की बात समज़ने से शरम रूकावट नहीं बनती. (यानी शरमाये बगैर दीन की बात पूछ कर समज़ लेती थी.) और उसी सफे पर हे के हज़रत मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हे के शरम करने वाला और तकब्बुर करने वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता. (बुखारी जि.१, स.२४)

इसलिये इन मसाईल के सीखने सिखाने मे शरम से काम नहीं

लेना चाहिये, आज लोग ऐसे मसाईल के पूछने से शरम करते हे और सिखाने वाले समज़ाने से शरम करते हे, इसलिये एहसास हुवा के इन्को आसान अल्फाज़ और ऐसे अंदाज़ मे लिखा जाये के आदमी इस्को पढकर खुद ही अच्छी तरह समज़ जाये और यही बात सोच कर ये रिसाला लिखा गया.

और इस गलती को ऐसे साफ अल्फाज़ मे बयान कर दिया गया हे के उम्मीद हे के जो आदमी ध्यान से पढेगा तो इन्शाअल्लाह उस्को पूरी बात समज़ मे आ जायेगी. **अल्लाह** तआला इस गलती से हमारी हिफाज़त फरमाये. आमीन.

मियां बीवी को हमेशा के लिये एक दुसरे पर हराम कर देने वाली बडी गलती.

एक गलती ऐसी हे के अगर शौहर या बीवी से हो जाये तो मियां बीवी एक दुसरे पर हमेशा के लिये हराम हो जाते हे, इस गलती के हो जाने के बाद बीवी को अपने निकाह में रखने की कोई शकल नही हे, इस गलती के हो जाने के बाद शौहर के लिये जरूरी हे के अपनी बीवी को तलाक देदे, क्युंके इस गलती के हो जाने के बाद बीवी अपने शौहर पर हमेशा के लिये हराम

हो जाती हे. (इस गलती का बयान आगे आ रहा हे)

जिस तरह कोई मर्द अपनी औरत को तीन तलाक दे दे तो औरत अपने मर्द पर हराम हो जाती हे, इसी तरह अगर शौहर या बीवी से ये गलती हो जाये तो भी बीवी अपने शौहर पर हमेशा के लिये हराम हो जाती हे तीन तलाक देने के बाद तो बीवी को अपने निकाह मे फिर से लाने के लिये शरियत ने रास्ता भी बताया हे, लेकिन इस गलती के हो जाने के बाद बीवी को अपने निकाह मे लाने का कोई रास्ता नहीं, दोनों मौत तक फिरसे जमा नहीं हो सकते, इसी तरह अगर बीवी से ये गलती हो जाये तो भी यही मसला हे के दोनों मियां बीवी हमेशा के लिये एक दूरे पर हराम हो जायेगे, अब दोनो के जमा होने का कोई रास्ता नहीं.

फतावा महमूदिया जि.११, स.३६९ पर हे के वो बीवी हमेशा के लिये हराम हो गयी. कोई सुरत उस्के हलाल होने की नहीं, उस्से जुदा हो जाना वाजिब हे, हमेशा के लिये उस्को छोड दे और केह दे के मेने उस्को छोड दिया, फिर इद्दत के बाद वो औरत दूसरी जगह निकाह कर ले, जिस शख्स ने ये मसला बतलाया हे के

तलाक पड गयी, हलाला के बाद दोबारा निकाह दुरस्त हे, उसने गलत बतलाया हे.

हुरमते मुसाहरत से तलाक नहीं पडती और निकाह नहीं टूटता. अल्बत्ता निकाह फासिद हो जाता हे (यानी खराब हो जाता हे) और औरत को छोडना वाजिब हो जाता हे और हलाला के बाद दोबारा निकाह सहीह नहीं होता. इसलिये हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी हे के शरीयत के इस हुक्म को अच्छी तरह समझ़े और इस गलती से बचने की पूरी कोशिश करे.

मियां बीवी एक दुसरे पर हमेशा के लिये हराम कर देने वाली वो गलती क्या हे?

मियां बीवी एक दुसरे पर हमेशा के लिये हराम कर देने वाली वो गलती यह हे के अगर शौहर का नीचे बतायी हुयी औरतो मेसे किसी एक औरत को शहवत के साथ छूलेना. अगर किसी मर्द ने नीचे बतायी हुयी औरतो मेसे किसी एक औरत को भी शहवत के साथ छूलिया तो उस मर्द की बीवी हमेशा के लिये उस मर्द पर हराम हो जायेगी. इसी तरह अगर औरत ने शहवत के साथ नीचे बताये हुये मर्दो मेसे किसी एक मर्द

को छूलिया तो भी यही हुक्म हे के वो औरत अपने शौहर पर हमेशा के लिये हराम हो जायेगी.

वो औरते और मर्द कौन कौन हे जिन्को छू लेने से मियां बीवी हमेशा के लिये एक दुसरे पर हराम हो जाते हे?

जिन्को शहवत के साथ छुलेने से मर्द पर अपनी बीवी हमेशा के लिये हराम हो जाती हे वो औरते ये हे:

{१} बीवी की मां (यानी सास).

{२} बीवी की हकीकी दादी.

{३} बीवी की हकीकी नानी.

{४} बीवी की अपने शौहर की बेटी सगी बेटी.

{५} बीवी के पेहले शौहर की बेटी सोतेली बेटी.

{६} बीवी की सगी नवासी.

{७} बीवी की सगी पोती. (फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७४)

मर्द ने इन मेसे एक को भी शहवत के साथ छुलिया तो उस मर्द पर अपनी बीवी हमेशा के लिये हराम हो जायेगी.

इन औरतो में से किसी ने भी उस मर्द को शहवत के साथ हाथ लगा लिया तो भी यही मसले हे के उसकी बीवी उस पर

हराम हो जायेगी. (बहरूराईक जि.३, स.१०१)

जिन को शहवत के साथ हाथ लगाने से बीवी अपने शौहर पर हराम हो जती हे वो मर्द यह हे

{१} शौहर का बाप (यानी ससुर).

{२} शौहर का हकीकी दादा.

{३} शौहर का हकीकी नाना.

{४} शौहर का बेटा, बीवी के खुद के पेट से हो सगा बेटा.

{५} शौहर की पेहली बीवी का बेटा सोतेला बेटा.

{६} शौहर का सगा नवासा.

{७} शौहर का सगा पोता. (फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७४)

सवालः कुछ लोगो को ये एतेराज होता हे के भूलशे हाथ लगाने की वजह से जब के दिल का ईरादा भी इस काम का नहि था तो ऐसी सख्त सज़ा कयुं दी जा रही हे? करे कोई भरे कोई.

जवाबः बीवी का हराम होना किसी कूसुर की वजह से नहि, बल्के सबब पाया जाता हे जैसे के कोई शख्स भूल से जहर खाले तो गुनाह तो नही होगा, लेकिन मरतो जायेगा यानी जैसा के जहर चाहे भूल कर खावे या जानबुज कर, हर हाल में इसका

असर होता हे. इसी तरह भूल कर जवानी के जोश और शहवत से हाथ लगाये, चाहे जानबुज कर, या भूलसे हर हाल में इसका असर तो जरूरी हे. (इमदादुल फतावा)

हाथ लगाने की वजह से हराम शाबित होने की शर्ते

अब यह जानना चाहिये के जब किसी मर्द ने औरत को या किसी औरत को हाथ लगाया तो उसकी वजह से मियां बीवी एक दूसरे पर तब ही हराम होगे जब नीचे लिखी हुवी शर्त पायी जाये अगर हाथ लगाने के वकत यह शर्ते ना पायी गयी तो फिर दोनो एक दुसरे पर हराम ना होगे चाहे शहवत कितनी ही हो.

{१} लडकी की उमर नव साल से कम ना हो और लडके की उमर बारा सालसे काम ना हो, इसलिये जिस लडकी को छूया गया अगर वो नव साल की होगी तो मियां बीवी एक दूसरे पर हराम हो जायेगे, अगर नव साल से कम उमर की होगी तो मियां बीवी एक दूसरे पर हराम ना होगे.

इसी तरह जिस लडके को छुवा गया उसकी उमर बारा साल की होना जरूरी हे बारा साल से कम उमर वाले लडके को हाथ लगने से मियां बीवी एक दूसरे पर हराम ना होगे.

{२} हाथ और बदन के बीच कोई कपडा हो के छुनेवाले को बदन की गरमी महसूस ना हो तो मियां बीवी एक दूसरे पर हराम ना होगे, चाहे शहवत की हालत में ही हो. हाथ और बदन के बीच कोई कपडा होने के बावजूद छुनेवाले को बदन की गरमी महसूस हो तो मियां बीवी एक दूसरे पर हराम हो जायेगे.

{३} हाथ लगाते वकत मर्द या औरत दोनो में से किसी एक में नफ्सानी शहवत का होना मियां बीवी के एक दूसरे पर हराम होने के लिये काफी हे, दोनो में शहवत का होना जरूरी नही हे.

{४} जिस मर्द की शर्मगाह में खडे होने की ताकत हो तो उसके लिये शहवत का मेयार यह हे के उसकी पेशाब की जगह खडी हो जाये और हाथ लगाने से पेहले ही जगह खडी हो तो उसमें जीयादती हो जाये, पेशाब की जगह खडी हो जाने का मतलब यह ना माना जाये के हाथ लगने के बाद से पेशाब की जगह खडी होने तक हाथ लगा हुवा रहे तो हुरमत शबित होगी, बल्के सोच से ही शर्मगाह में शहवत पेदा हो जाये और ऐसे बुडे मर्द कमजोर आदमी के जिनकी शर्मगाह में खडे होने की ताकत ना हो और औरतो के लिये शहवत का मेयार यह हे के

उनको दिल में लजजत मेहसूस हो और अगर हाथ लगाने से पेहले ही से लजजत मौजूद हो तो उसमें जीयादती हो जाये.

{५} अगर हाथ लगाने के वकत शहवत की हालत ना हो, बल्के हाथ अलग हो जाने के बाद शहवत की हालत पेदा हुवी तो मियां बीवी एक दूसरे पर हराम ना होंगे.

(यह सारे मसले १ से ५ फतावा आलमगीरी जि.१, स. २७५ पर हे)

उपार बयान की हुवी शर्तो के मुताल्लिक चंद मसले

{१} मुरदो को शहवत के साथ हाथ लगाने से या उसके साथ जिना करने से हुरमत साबित नही होगी.

{२} ऐसी छोटी लडकी जो शहवत के लायक ना हो उसके साथ समभोग करने से हुरमत साबित नही होगी. जब समभोग से हुरमत साबित नही होगी तो हाथ लगाने से तो हुरमत कैसे साबित होगी? इस से पाता चलता हे छोटे बच्चो का इस्तिन्जा वगैरा पाक करने में कोई हरज नही हे, इससे हुरमत साबित नही होती.

{३} ऐसी बूढी औरत के जिसको देख कर शहवत नही होती उसको हाथ लगाने से भी हुरमत साबित हो जायेगी, इसलिये

मर्द को आपनी घरवाली की नानी या दादी की जिस्मानी खिदमत जेसे के बालो में तेल डालना, हाथ पैर दबाना वगैरा से बचना चाहिये.

{४} अगर शहवत के साथ बालो को हाथ लगे तो जो बाल सरके उपर हे उनको हाथ लगा हे तो हुरमत साबित हो जायेगी और अगर उन बालो को हाथ लगा हे जो सरसे निचे लटक रहे हे तो हुरमत साबित नही होगी.

{५} शहवत के साथ हाथ लगाने में यह शर्त नही हे के हाथ लगा हुवा रहे, यह तक कहा गया हे के अगर किसी ने आपनी बीवी की तरफ शहवत के साथ हाथ बढाया और वह उसकी बालिग लडकी की नाक पर लग गया और उस मर्द की शहवत में जियादती हो गई तो उस मर्द पर उसकी बीवी हरम हो जायेगी, चाहे उसने अपने हाथ को फौरन खिच लिया हो.

{६} औरत या मर्द को शहवत के साथ छूना चाहे जानबुजकर हो या भूल से हो या जबरदस्ती मजबूर करके हो, हर हाल में हुरमत साबित हो जायेगी.

{७} अगर सोने की हालत में भी यह काम होगा तो भी हुरमत

साबित हो जायेगी, जैसे के किसी मर्द ने अपनी बीवी को अपन जिस्मानी खाहिश पूरी कने के लिये उठाना चाहा और उसका हाथ उसकी नव साल से बडी उमर की लडकी को लग गया और उसने उसको अपनी बीवी समज कर शहवत के साथ चुटकी लगायी और उसकी शहवत बड गयी तो हुरमत साबित हो जायेगी.

{८} अगर शहवत के साथ काट लिया तो भी हुरमत साबित हो जायेगी, इसी तरह अगर शहवत के साथ नाखून को छू-लीया तो भी हुरमत साबित हो जायेगी.

{९} अगर नशे की हालत में भी अपनी बेटी या सास को छू लेगा तो हुरमत साबित जायेगी, फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७५ पर हे के, काजी अली सगदी (रह) से पुछा गया के किसी शराबी ने अपनी बेटी को गले लगाया और उस्को बोसा दिया और उससे समभोग करने का इरादा किया तो उसकी बेटी ने कहा के में तेरी लडकी हु, तो उसने फौरन उस्को छोड दिया तो किया उस शराबी की बीवी शराबी पर हराम हो गयी? फरमाया ‘हा’. (यह सारे मसले १ से ९ फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७४-२७५ पर हे)

वह काम के जिनके करने वालो की बात सच नही मानी जायेगी

कुछ काम ऐसे हे के कोई शख्स उनको करे और फिर कहे के यह काम मेने शहवत के साथ नही क्या था तो भी उसकी बात को माना नही जायेगा और उसकी बीवी उससे जुदा कर दी जायेगी.

वह बुरी हरकते यह हे

{१} अगर कोई शख्स औरत की पेशाब की जगह (शर्मगाह) को हाथ लगा कर यूं केहता हे के ये काम करते वकत मुजे शहवत नही थी तो उसकी बात नही मानी जायेगी और उसकी बीवी उससे जुदा कर दी जायेगी.

{२} अगर औरत का पिस्तान यानी छाती पकड लिया और केहता हे के शहवत के साथ नही किया था तो सच नही माना जायेगा और हुरमत साबित हो जायेगी.

{३} अगर औरत को बोसा दिया तो हुरमत साबित हो जायेगी, लेकिन अगर मजबूत दलीलों से पता चल जाये के बोसा देते वकत शहवत नही थी तो फिर हुरमत साबित नही होगी. (यह सारे मसले फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७६ पर हे)

वह शकल जिसमे छुनेवाले के निकाह में कोई बिगाड नही आता, लेकिन जिसको छुवा उस औरत या मर्द के निकाह में बिगाड पैदा हो जाता हे.

{१} किसी मर्द ने अपनी हकीकी मां या सोतेली मां को शहवत के साथ हाथ लगा दिया तो इसकी वजह से छुनेवाले मर्द के निकाह में कोई बिगाड पैदा नही होगा, लेकिन उसकी हकीकी मां या सोतेली मां उसके बाप पर हराम हो जायेगी.

{२} इसी तरह अगर ससुर ने अपनी बहु पर हाथ डाल दिया तो ससुर के निकाह में कोई फर्क नही आयेगा लेकिन ससुर की बहु ससुर के बेटे पर हराम हो जायेगी. (आलमगीरी जि.१, स.२७६)

इस मसले के बारे में एक जरूरी वजाहत यह हे के ऐसी शकले जिनमे शौहर के अलावा किसी दुसरे की किसी हरकत की वजह से निकाह में बिगाड पैदा होता हो तो उनमे एक अहम शर्त ये हे के शौहर को इस बात का यकीन आना चाहिये या उस्को गालिब गुमान होना चाहिये के ऐसा हुवा होगा, अगर शौहर को ऐसा यकीन या गालिब गुमान ना हो और वह इन्कार करदे के ऐसा कुछ भी नही हुवा तो मियां बीवी में जुदाई नही

होगी, और वह दोनों मियां बीवी एक दुसरे पर हलाल रहेंगे.

शहवत के साथ देखने का बयान

जिस तरह जिन जिन औरतों को शहवत के साथ हाथ लगाने से शौहर पर उसकी बीवी हराम हो जाती हे, इसी तरह अगर उन औरतों की शर्मगाह की तरफ शौहर शावत के साथ देख ले तो भी उसकी बीवी उस पर हराम हो जायेगी और जिन जिन मर्दो को शहवत के साथ हाथ लगाने से औरत अपने शौहर पर हराम हो जाती उन मर्दो की शर्मगाह की तरफ अगर औरत शहवत के साथ देख लेगी तो वह औरत अपने शौहर पर हराम हो जायेगी. जेसे के दामाद ने अपनी सास की शर्मगाह की तरफ शहवत के साथ देखा या बहुने ससुर की शर्मगाह की तरफ शहवत के साथ देखा तो मियां बीवी एक दुसरे पर हराम हो जायेंगे.

फतावा आलमगीरी जि.१, स.२७४ पर हे तरजुमा- अगर औरत ने मर्द की शर्मगाह की तरफ देखा या शहवत के साथ मर्द को छु लिया या शहवत के साथ बोस दिया तो उसकी वजह से हुरमते मुसाहरत साबित हो जायेगी और शर्मगाह के

अलावा तमाम बदन के दुसरे हिस्सों को शहवत के साथ सिर्फ देखने से या शहवत के बगैर किसी भी हिस्से को छूने से तमाम उलमा के नजदीक हुरमत साबित नही होगी.

{१} शहवत के साथ औरत की शर्मगाह की तरफ देखने में यह शर्त हे के औरत की शर्मगाह के अन्दर का हिस्सा देखा हो तो हुरमत साबित होगी और यह हिस्सा उस वकत नजर आ सकता हे के जब वह टेक लगा कर बेठी हुवी हो और जब औरत खडी सी तो ऐसी हालत में उसकी शर्मगाह का अन्दर का हिस्सा दिखायी नही देता, इसलिये खडी होने की हालत में औरत की शर्मगाह देखने से हुरमत साबित नही होगी.

(आलमगीरी जि.१, स.२७४)

{२} शिर्फ देखने वाले में शहवत जरूरी हे, देखने वाला चाहे मर्द हो या औरत. जिस मर्द या औरत की तरफ देखा गया हे उसमे शहवत का होना जरूरी नही हे. (हुरमते मुसाहरत स.२१)

{३} अगर औरत के पाखाना के मकाम को शहवत के साथ देख ले तो उससे हुरमत साबित नही होगी. (आलमगीरी जि.१, स.२७५)

{४} अगर औरत की शर्मगाह को किसी पतले परदे या काच

के पीछे से देखा तो हुरमत साबित हो जायेगी और अगर किसी आईने में से औरत की शर्मगाह को शहवत के साथ देख लिया तो उसकी वजह से हुरमत साबित नही होगी, क्यों के उसने आईने में औरत की शर्मगाह की परछायी देखी हे. इसी तरह अगर औरत हौज के किनारे पर हो या पूल पर हो और उसकी शर्मगाह को पानी में देखे तो भी हुरमत साबित नही होगी, लेकिन अगर औरत खुद पानी में हो और फिर पानी में औरत की शर्मगाह को देके तो हुरमत साबित हो जायेगी. (आलमगीरी जि.१, स.२७४)

जरूरी वजाहत

हुरमते मुसाहरत की वजह से निकाह खत्म नही होता, बल्के खराब हो जाता और उसमे बिगाड पैदा हो जाता हे, हुरमत साबित होने की सूरत में भी निकाह खत्म नही हुवा, उस औरत से समभोग करना जिना नही अगरचे हराम और सख्त गुनाह हे, जैसे के बीवी से हैज की हालत में समभोग करना जिना नही मगर हराम हे, हुरमत साबित होने की हालत में भी अगर खुदा ना खास्ता समभोग का लिया तो उससे पैदा होने वाली औलाद को जिना की औलाद कहना दुरूस्त नही

होगा लेकिन हुरमते मुसाहरत साबित होने के बाद अगर समभोग करेगा तो सख्त गुनेहगार होगा और महर देना भी जरूरी होगा. (फतावा महमुदिया जि.११, स.३९५)

और जब निकाह बाकी हे तो जब तक शौहर तलाक न दे दे तब तक औरत दुसरा निकाह नही कर सकती अगर हुरमते मुसाहरत की कोई सूरत पेश आ गयी हो तो औरत के लिये जरूरी हे के हरगिज हरगिज शौहर के पास ना रहे और ना शौहर को करीब आने दे और शौहर के जिम्मे भी लाजिम हे के ऐसी औरत को फौरन जुदा कर दे और जुबान से भी जुदाई जाहिर कर दे.

मसलन इस तरीके से कहे के मेने तुजको छोड दिया या मेने तुजको तलाक दे दी अगर शौहर बद-दीनी इख्तियार करे और बीवी को जुदा ना करे तो जिस तरीके से भी मुम्किन हो औरत को उस सख्स के पास से चले जाना निहायत जरूरी हे, लेकिन जब तक शौहर जुबान से ना कहे के मेने उस औरत को जुदा कर दिया या काजी शरिआत के कानून के मुताबिक जुदाई ना कर दे उस वकत तक उस औरत का दुसरे शख्स से निकाह दुरूस्त नही हो सकता.

एक खतरनाक मौका

इस आफत से बचने का नब्वी नुस्खा

हमारे लिये जरूरी हे के इस गलती से बचने के लिये हम **अल्लाह** से मदद मांगते रहे, क्यों के बचाने वाली जात तो **अल्लाह** ही की हे. नेक और अच्छे गुमान से दुआ की जाये तो **अल्लाह** महरूम नही रखेगे, इन्शाअल्लाह.

हदीस में शहवत की बुराई से बचने के लिये बाज दुआऐ ये हे.

{१} तरजुमा ए **अल्लाह** मेरी शर्‌मगाह को महफूज रख.

{२} तरजुमा ए **अल्लाह** अपने नफस की बुराई से में आप की पनाह मांगता हु.

{३} तरजुमा ए **अल्लाह** में आपसे ऐसा डर मांगता हूं जो मुजे आपकी नाफर्‌मानियो से रोक दे, यहा तक के में आपकी फरमाबरदारी के ऐसे काम करू जिनसे में आपकी खुशनूदी का मुस्ताहिक बन जाउ.

नोटः अगर **अल्लाह** ना करे किसी को यह मसले आ जाये तो किसी बडे मुफ्ती साहब से मिल कर रहबरी हासिल करे.